"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 539] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 28 अक्टूबर 2014— कार्तिक 6, शक 1936

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2014

अधिसूचना

क्रमांक/पं./पंग्राविवि/22/2014/10166 .— छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 53 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) एवं धारा 70 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 95 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2012 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 95 की उप-धारा (3) द्वारा अपेक्षित किये अनुसार पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

अनुसूची -चार के पश्चात्, निम्नलिखित टीप जोड़ी जाए, अर्थात् :-

"**टीप** - सहायक शिक्षक (पंचायत), जो वाणिज्य विषय में स्नातक उपाधि धारण करता हो, कला विषयों में शिक्षक (पंचायत) के पद पर पदोन्नति के लिये पात्र होगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिखा राजपूत तिवारी, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2014

क्रमांक/पं./पंग्राविवि/22/2014/10167. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/पं./पंग्राविवि/22/2014/10166, दिनांक 28-10-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिखा राजपूत तिवारी, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 28th October 2014

NOTIFICATION

No./P./PGVV/22/2014/10166. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with clause (b) of sub-section (1) of Section 53 and sub-section (1) of Section 70 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the State Government hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Teacher (Panchayat) Cadre (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2014, the same having been previously published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

After Schedule-IV, the following note shall be added, namely :-

"**Note** - Assistant Teacher (Panchayat), who is having graduation degree in Commerce, shall be eligible for promotion to the post of Teacher (Panchayat) in Arts subjects."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SHIKHA RAJPUT TIWARI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.